



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक-एफ.24(NOC22-23)/बी.एड./आकाशि/2022/558

दिनांक:- 06/01/2023

आदेश

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश दिनांक 29.09.2022 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2022. WP(Civil) No. 627/2022 के अनुसरण में पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी शुद्धिपत्र दिनांक 07.10.2022 की अनुपालना में बी.एड. (दो वर्षीय) कार्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को रात्र 2022-23 के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा/महिला
1	Ramkishan Jugalkishore Barasia Teacher Training College Shirawa Road, Surajgarh, Jhunjhunu, Rajasthan-333029	B.Ed. (2 Year)	NCTE/WRC/RJ-1302/ B.Ed./366 th /MEETING/ 2022/ 220346 Date:- 29-09-2022 Corrigendum: NCTE/WRC/RJ-1302/ 2022/ 220528 Date:- 07-10-2022	100 Students (Two Basic Units of 50 Students each)	Co-Ed.

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अधोलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2022 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड 2022 के माध्यम से पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड परीक्षा 2022 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेने।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
5. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फंडेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।

1- एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,

2- राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र

3- अनुनादित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची

4- संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, पी.टी.ई.टी. 2022, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शंखावटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
8. सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
9. शिक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

पश्चिम क्षेत्रीय समिति



National Council for Teacher Education
(A Statutory of the Government of India)
Western Regional Committee

File No/NCTE/WRC/RJ-1302 /2022/

220525

date:

7/10/22

Corrigendum

In compliance of Order dated 23.09.2022 passed by Honble Supreme Court in *WP(Civil) No.627/2022* titled *RamaKishan Jugalkishore Barasia Teacher Training College. Vs NCTE and others* and in furtherance of the decision taken in the 372nd meeting of WRC held on 30/09/2022, the session mentioned in the recognition order No. NCTE/WRC/RJ-1302/B.Ed/366th meeting/2022/220343 dated 29/09/2022 may be read as 2022-2023 instead of 2023-2024 with respect to the institution "RAMAKISHAN JUGALKISHORE BARASIA TEACHER TRAINING COLLEGE", SHIRAWA ROAD, SURAJGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN-333029.

The remaining content of the Recognition order No. NCTE/WRC/ RJ-1302 /B.Ed/ 366th meeting/2022/220343 dated 29/09/2022 shall remain unchanged.

Naveen Malik

Regional Director

Ramakishan Jugalkishore

Copy to:

1. THE PRINCIPAL, RAMAKISHAN JUGALKISHORE BARASIA TEACHER TRAINING COLLEGE, SHIRAWA ROAD, SURAJGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN-333029
2. THE SECRETARY, G.R. BARASIA CHERITABLE TRUST, STATION ROAD, SURAJGARH, DISTRICT- JHUNJHUNU, RAJASTHAN-333029
3. THE REGISTRAR, PANDIT DEENDAYAL UPADHAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR, RAJASTHAN
4. THE IT SECTION WRC, FOR UPLOADING ON WEBSITE
5. OFFICE ORDER FILE/INSTITUTION FILE RJ 1302

जी -7, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

G-7, Sector -10, Dwarka, New Delhi - 110075

दूरभाष / Phone : 011-20892153, 20892155

Email : wrc@ncte-india.org. Website : www.nctewrc.co.in

NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org